अध्याय 1

भूमिका

बारहवें वित्त आयोग का गठन

1.1 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। प्रथम ऐसे आयोग का गठन 19 नवम्बर, 1951 को किया गया था। वर्तमान वित्त आयोग के पूर्ववर्ती ग्यारह वित्त आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से हमारे देश में राजकोषीय विकेन्द्रण को एक निश्चयात्मक आकार दिया है। वर्तमान वित्त आयोग, जो बारहवाँ है, का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. रंगाराजन की अध्यक्षता में पहली नवम्बर, 2002 को किया गया था। राष्ट्रपति ने दो पूर्णकालिक सदस्यों नामतः भारत सरकार के मंत्रिमंडल के भूतपूर्व सचिव श्री टी.आर. प्रसाद, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त),तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के प्रो. डी. के. श्रीवास्तव तथा एक अंशकालिक सदस्य नामतः योजना आयोग के सदस्य श्री सोमपाल को भी नियुक्त किया। डॉ. जी.सी. श्रीवास्तव, भा.प्र.सेवा को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, पहली जुलाई, 2003 से उन्हें चौथे सदस्य के रिक्त स्थान पर सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। श्री सोमपाल द्वारा आयोग से त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप, डॉ. शंकर.एन. आचार्य को पहली जुलाई, 2004 से अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। संगत अधिसूचनाएं अनुबंध 1.1, 1.2 तथा 1.3 पर हैं।

1.2 एक अप्रैल 2005 से आरम्भ पांच वर्षों की अवधि को शामिल करते हुए आयोग को अपनी रिपोर्ट मूलतः 31 जुलाई 2004 तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तदनंतर, संसदीय चुनाव समय से पूर्व होने से सामान्य गतिविधियों में व्यवधान आने के कारण राष्ट्रपति ने पहली जुलाई 2004 के अपने आदेश के माध्यम से आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2004 तक बढ़ा दिया किन्तु रिपोर्ट को 30 नवम्बर 2004 तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था (अधिसूचना अनुबंध 1.4 पर)।

विचारार्थ विषय

1.3 राष्ट्रपति ने पहली नवम्बर, 2002 की अधिसूचना (अनुबंध 1.1) के तहत आयोग को निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दियाः-

> "4. यह आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुशंसाएं करेगाः-
>
> (i) करों की उन निवल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण जिन्हें संविधान के भाग-XII के अध्याय-1 के अनुसार उनके बीच बांटा जाना है अथवा बांटा जा सकता है और ऐसी प्राप्तियों के अपने हिस्से का राज्यों के बीच आबंटन;
>
> (ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्त और उन राज्यों को दी जाने वाली राशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत, उस अनुच्छेद के खण्ड(1) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर, अन्य प्रयोजनों के लिए अपने राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में मदद की आवश्यकता है;
>
> (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय।
>
> 5. आयोग केन्द्र तथा राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की पुनरीक्षा करेगा तथा ऐसी योजना का सुझाव देगा जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक तथा पृथक रूप से बजटीय संतुलन बहाल करते हुए बृहद् - आर्थिक स्थायित्व हासिल करके तथा साम्यापूर्ण अभिवृद्धि के साथ ऋण को घटाकर लोक वित्त की पुनर्संरचना कर सकती हैं।
>
> 6. अपनी अनुशंसाएं करने में आयोग अन्य विचारणाओं के साथ साथ निम्न को ध्यान में रखेगाः-
>
> (i) 2003-04 के अंत तक प्राप्त होने वाले संभावित कर-भिन्न राजस्वों तथा कराधान के स्तरों के आधार पर पहली अप्रैल 2005 को आरम्भ पांच वर्षों के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन;
>
> (ii) केन्द्र सरकार के संसाधनों पर विशेष रूप से नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक एंव सीमावर्ती सुरक्षा, ऋण शोधन संबंधी व्यय तथा अन्य वचनबद्ध व्यय एवं देयताओं के कारण उत्पन्न मांगें;
>
> (iii) 2003-04 के अन्त तक प्राप्त होने वाले संभावित कर-भिन्न राजस्वों तथा कराधार के स्तरों के आधार पर पहली अप्रैल 2005 को आरम्भ पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन;
>
> (iv) न केवल सभी राज्य तथा केन्द्र के राजस्व खाते की प्राप्तियों तथा व्यय को संतुलित करने का उद्देश्य बल्कि साथ ही पूंजी निवेश हेतु अधिशेष सृजित करने तथा राजकोषीय घाटा कम करने का उद्देश्य;

(v) लक्ष्य, यदि कोई हो, की तुलना में केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास तथा यथा मामला कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के लिए संभाव्यता;

(vi) 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण की जाने वाली प्लान योजनाओं पर अनुरक्षण से जुड़ा वेतन-भिन्न व्यय तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा रख-रखाव के वेतन-भिन्न संघटक पर व्यय तथा मानदंड जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के अनुरक्षण हेतु विशिष्ट धनराशियों की अनुशंसा की गई है तथा ऐसे व्यय का अनुवीक्षण करने का तरीका;

(vii) प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन तथा निजीकरण अथवा विनिवेश के माध्यम से प्राथमिकता-भिन्न उद्यमों को छोड़ने सहित विभिन्न साधनों के जरिए राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

7. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें करने में आयोग ऐसे सभी मामलों में, जहां करों तथा शुल्कों एवं सहायतानुदान के न्यागमन के निर्धारण हेतु जनसंख्या एक घटक है, 1971 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या आंकड़ों को आधार मानेगा।

8. आयोग ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा करेगा तथा इसके उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु उपाय सुझाएगा।

9. आयोग 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात वृह्द-आर्थिक स्थायित्व एवं ऋण निर्वहनीयता के समनुरुप यथावश्यक समझे जाने वाले सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा। सिफारिश किए गए ऐसे उपाय मानव विकास एवं निवेश माहौल के क्षेत्रों में राज्यों के निष्पादन को महत्व देंगे।

10. आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा तथा उनपर समुचित सिफारिशें करेगा।

11. आयोग अपने निष्कर्षो के आधार निर्दिष्ट करेगा तथा प्राप्तियों एवं व्यय के राज्यवार अनुमान उपलब्ध कराएगा।

1.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग को दिनांक 31 अक्तूबर, 2003 की परवर्ती अधिसूचना (अनुबंध 1.5 के तहत) के माध्यम से निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करने के लिए कहा गया:-

(i) क्या केन्द्र को संविदात्मक उपबंधों से प्रत्युत्पन्न पेट्रोलियम के लाभ की कर-भिन्न आय को उन राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए जहां से खनिज तेलों का उत्पादन होता है; तथा

(ii) यदि हां, तो किस सीमा तक।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं

1.5 आयोग के प्रशासन की स्थापना की प्रक्रिया 30.06.2002 को आर्थिक कार्य विभाग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में डा. वी.के. अग्निहोत्री की नियुक्ति के साथ आरम्भ हुई। समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करने में पर्याप्त समय लगा। स्वीकृत पदों तथा कार्यकर्त्ताओं की सूचियां अनुबंध 1.6 तथा 1.7 पर हैं। जवाहर व्यापार भवन में उपयोग हेतु कार्यालय आवास तैयार करने में भी काफी समय लगा।

भारत के वित्त आयोगों की स्वर्ण जयन्ती

1.6 बारहवें वित्त आयोग का गठन इस संस्था के सृजन के पचास वर्षों की सम्पूर्ति के समकालिक था। देश में राजकोषीय विकेन्द्रण प्रणाली के स्थायित्व तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने में पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा किए गए प्रयासों का सिंहावलोकन करने के उद्देश्य से एक स्वर्णिम जयन्ती समारोह का आयोजन किया गया। इसका उदघाटन 9 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न को विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा की गई थी। समारोह में योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री के.सी. पंत भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यों के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सचिव तथा अन्य अधिकारी एवं सुविख्यात अर्थशास्त्री भी उपस्थित थे।

1.7. उद्घाटन समारोह के पश्चात राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तथा डा. सी. रंगाराजन द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सरकारी वेबसाईट www.fincomindia.nic.in को आरम्भ किया गया। यह वेबसाईट अंतः क्रियात्मक, गतिशील, प्रयोक्ता अनुकूल तथा संघीय वित्त से जुड़े डाटा के अर्थ में भरपूर है। जनता से आन लाईन सुझाव प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। चुनिंदा कार्यकर्त्ताओं के लिए इंट्रानेट युक्त एक कार्यतः सचिवालय (FincomNet) का सृजन किया गया है तथा वर्तमान एवं भावी वित्त आयोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका अनुरक्षण किया गया है। वेबसाईट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता से अनुरक्षित एवं आंतरिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

1.8. इस अवसर पर, "राजकोषीय विकेन्द्रीकरण के पचास वर्षः भारत के वित्त आयोग" शीर्षक से एक संस्मारक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका विमोचन अध्यक्ष द्वारा किया गया। संस्मारक पुस्तक सभी ग्यारह वित्त आयोगों के संबंध में संघटन, विचारार्थ विषयों, दृष्टिकोण, सिफारिशों तथा की गई रिपोर्टो से संबंधित उद्धरणों का एक उपयोगी सार संग्रह है। अन्यथा बिखरी सामग्री का एक ही पुस्तक में संकलन एक प्रामाणिक दस्तावेज का कार्य करता है जो इसका व्यापक लेखा उपलब्ध कराता है कि राजकोषीय विकेन्द्रीकरण से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर किस प्रकार कार्रवाई की गई।

1.9. विगत आयोगों के अनुभव से सीख लेने के उद्देश्य से 10 अप्रैल, 2003 को एक विचारावेश सत्र आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष एवं विगत वित्त आयोगों के सदस्यों को केन्द्र से राज्यों को संसाधन अंतरणों की जटिलताओं से जुड़े अपने अनुभव तथा अवबोधन बांटने के लिए आंमत्रित किया गया (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.8 पर)।

प्रमुख गतिविधियां

1.10. पर्याप्त सुसज्जित आवास के अभाव तथा उपयुक्त कार्मिकों की कमी के बावजूद आयोग ने औपचारिक रूप से इसके गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा कार्यभार ग्रहण के तत्काल पश्चात अपना कार्य आरम्भ कर दिया। आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक 16 जनवरी 2003 को आयोजित की गई जिसमें आयोग ने प्रक्रियाविधि के नियमों को अनुमोदित किया (प्रति अनुबंध 1.9 पर)।

1.11. परामर्श की प्रक्रिया 18.02.2003 को नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों एवं आर्थिक प्रशासकों की एक बैठक से आरम्भ हुई। चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता में इसी प्रकार की बैठकें क्रमशः 10 मार्च 2003, 17 अप्रैल 2003 तथा 8 मई 2003 को आयोजित की गईं। (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.10 पर)।

1.12. जनता से सामान्यतः प्राप्त सुझावों से लाभ उठाने के लिए आयोग ने इसके विचारार्थ विषयों से जुड़े मुद्दों पर आम जनता, संस्थाओं तथा संगठनों से विचार आमंत्रित करते हुए एक प्रैस नोट (अनुबंध 1.11) जारी किया। जनता ने प्रैस नोट का सामान्यतः उत्तर दिया। प्रत्यर्थियों की सूची अनुबंध 1.12 पर है।

1.13. आयोग के विचारार्थ विषयों पर राज्यों से विचार/सुझाव प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तथा अग्रगण्य अर्थशास्त्रियों को पत्र लिखे। सदस्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को विचारार्थ विषयों पर तथा उनसे संबंधित किसी मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ पत्र लिखे (जारी किए गए प्रत्येक पत्र की प्रति अनुबंध 1.13 तथा 1.14 पर है)। आयोग को सभी राज्यों से ज्ञापन तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

1.14. विचारार्थ विषयों पर केन्द्रीय मंत्रियों के विचारों से अवगत होने के दृष्टिगत अध्यक्ष ने मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के विचार/सुझाव मांगे। सदस्य सचिव ने केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के सचिवों को भी आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपने अवलोकन अग्रेषित करने के लिए लिखा (प्रत्येक पत्र की एक प्रति अनुबंध 1.15 तथा 1.16 पर है)। आयोग को केन्द्रीय सरकार के अनेक विभागों/मंत्रालयों से विचार/सुझाव प्राप्त हुए (सूची अनुबंध 1.17 पर है)।

1.15. केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय निकाय के वित्त साधनों से जुड़ी विस्तृत सूचना, डाटा एवं अन्य निविष्टियां अनुसूचियों एवं वितरणों के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से एकत्र की गई। इस प्रयोजन के लिए, 57 प्रोफार्मा अभिकल्पित किए गए तथा 75 विषयों का चयन किया गया। सूचना का सहज प्रवाह सुकर बनाने के लिए एक समर्पित अधिकारी की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना प्रत्येक राज्य द्वारा की गई। इस प्रकार आयोग अपार सूचना का संग्रहण करने में समर्थ हुआ जिससे वह प्रत्येक राज्य के लिए एक ठोस आंकड़ाधार सृजित करने में सक्षम हुआ। भविष्य में वित्त आयोगों को सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समस्त सूचना को कार्यतः सचिवालय में भंडारित किया गया है।

1.16 राज्यों की वित्तीय अपेक्षाओं से जुड़े उनके अवबोधनों को मापने तथा उनके राजकोषीय निष्पादन के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने तथा साथ ही उप-राष्ट्रीय सरकारों की सामाजिक-आर्थिक एवं अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने 25 जुलाई, 2003 से शुरू करके राज्यों के दौरे किए। फरवरी से मई 2004 के दौरान राष्ट्र में चुनाव (लोक सभा तथा कुछ राज्य विधायिकाएं) के कारण 2004 के आरम्भ मे राज्य दौरों की अनुसूची में व्यवधान आया। ये दौरे 31 मई 2004 को पुनः आरम्भ किए गए तथा जुलाई, 2004 के महीने में पूर्ण किए गए (सहभागियों की सूची तथा राज्य दौरों का यात्राक्रम अनुबंध 1.18 तथा 1.19 पर है)। आयोग का राज्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा बैठकों के परिणाम स्वरूप विचारों का लाभप्रद विनिमय हुआ। स्थानीय दौरों, जो समग्र राज्य दौरों का एक भाग थे,से ग्रामीण और शहरी निकायों की अत्यावश्यक जरुरतों की गहनता एवं गम्भीरता को देखने एवं उनका आकलन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दौरों के दौरान आयोग ने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं तथा व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अंतःक्रिया भी की।

1.17 आयोग के राज्य दौरों से पूर्व राज्यों के महालेखाकारों के साथ बैठकें की गईं। इन बैठकों (सूची अनुबंध 1.20 पर) ने संबंधित राज्यों के संबंध में जटिल मुद्दों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। विचारविमर्श मुख्यतः राजस्व एवं व्यय, स्थानीय, सरकारों के स्तर पर ऊर्ध्वस्थ एवं समस्तरीय असंतुलनों से जुड़े मुद्दों, संसाधन संग्रहण हेतु किए गए उपायों तथा राजकोषीय अनुशासन सन्निविष्ट करने हेतु आरम्भ किए गए सुधारों पर केन्द्रित थे।

1.18 सुविख्यात अर्थशास्त्रियों तथा प्रशासकों से एक सुव्यवस्थित तरीके से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से 29-30 सितम्बर, 2003 को "बारहवें वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे" संबंधी एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए कहा। संगोष्ठी में (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.21 पर), अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो भारत में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण में प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित हैं। कुछ दस्तावेज बाद में आर्थिक एवं राजनैतिक साप्ताहिक (खंड 39, सं. 26, जून 26 - जुलाई 2, 2004 पृष्ठ 2707-2794) मे प्रकाशित हुए। तदनंतर, इन सभी दस्तावेजों को, इन पर विशेषज्ञों की टिप्पणियों सहित एक संकलन "राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की गतिकियांः बारहवें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां" शीर्षक वाली पुस्तक में प्रकाशित किया गया।

1.19 शहरी म्युनिसीपल निकाय राज्य स्तर पर अभिशासन संरचना का एक अंखड भाग हैं। स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका दक्ष कार्यकरण महत्वपूर्ण है तथा उसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। म्युनिसीपैलिटियों की

उभरती हुई आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने आयोग के कहने पर 29-30 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.22 पर)। संगोष्ठी के तकनीकी सत्रों में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण में बारहवें वित्त आयोग की भूमिका पर विशिष्ट प्रकाश डाला गया तथा म्युनिसीपल वित्त साधनों से संबंधित समकालिक मुद्दों को प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में प्रस्तुत कागजातों को आईआईपीए द्वारा "भारत में म्युनिसीपल वित्त साधन : बारहवें वित्त आयोग की भूमिका" नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया ।

1.20 आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद (एनआईआरडी) द्वारा 23 जनवरी, 2004 को पंचायती राज वित्त साधन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करवाने के लिए भी पहल की (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.23 पर)। विचार विमर्शों में ग्रामीण स्थायी निकायों के वित्त साधनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा निकायों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवहार्य दृष्टिकोणों की रूपरेखा बताई गई। संगोष्ठी की कार्यवाही को एन आई आर डी द्वारा प्रकाशित किया गया।

1.21 अर्थशास्त्रियों, अकादमीविदों तथा प्रशासकों के अंतर्ज्ञान एवं अनुसंधान निष्कर्षों से लाभ उठाने के मद्देनजर आयोग ने आयोग के विचारार्थ विषयों से जुड़े विविध मुद्दों पर 26 अध्ययन सौंपे। इनमें शामिल कुछ मुद्दे हैं - ऋण निर्वहनीयता/ऋण राहत, व्यय प्रबंधन, राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक जीवक्षमता, मूल्य वर्धित कर के राजस्व निहितार्थ, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कर प्रयास तथा सिंचाई क्षेत्र की वित्तीय प्रास्थिति (आरम्भ किए गए अध्ययनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1.24 पर है)।

1.22 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से लाभ उठाने के लिए आयोग ने संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया (यात्रावृतांत अनुबंध 1.25 पर) का दौरा किया, राष्ट्रीय तथा चुनिंदा उप-राष्ट्रीय सरकारों के साथ किए गए विचारविमर्श में अनेक मुद्दे शामिल थे यथा अंतः सरकारी अंतरणों के लिए मानदंड, समकरण के सिद्धांत का क्रियान्वयन, कनाडा में बिक्री कर प्रणाली, आस्ट्रेलिया में माल तथा सेवा कर एवं केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के करार को क्रियान्वित करने के लिए आस्ट्रेलिया सुधार कार्यक्रम। अपने दौरे के दौरान, आयोग ने वाशिंगटन मे आयोजित कार्यशाला में विभिन्न देशों से विशेषज्ञों के साथ अंत क्रिया की (कार्यशाला का कार्यक्रम अनुबंध 1.26 पर है)।

1.23 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल इंटरप्राईज (प्रा)लि. द्वारा 2 जुलाई, 2004 को आयोग के तत्वावधान में भारत में शहरी केन्द्रों में मल-व्यवस्था, अपशिष्ट जल उपचार एवं जलनिकासी की लागत तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं में विचारावेश सत्र तथा भारत में अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहलों की निर्वहनीयता एवं जीवक्षमता, छोटे समुदायों में अपकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार एवं समुदाय अपशिष्ट पृथक्कीकरण एवं खाद निर्माण संबंधी दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण शामिल था। (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.27 पर है)।

1.24 केन्द्रीय मंत्रालयों की आवश्यकताओं का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोग ने योजना आयोग तथा वित्त (आर्थिक कार्य, व्यय एवं राजस्व विभाग), रेलवे, रक्षा (रक्षा एवं रक्षा उत्पादन व आपूर्ति विभाग), गृह (गृह एवं सीमा प्रबंधन विभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), विद्युत, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, खान, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन (शहरी विकास विभाग), रसायन एवं उर्वरक (उर्वरक विभाग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग), जनजातीय मामले, मानव संसाधन विकास (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) कानून एवं न्याय (न्याय विभाग), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) तथा कृषि (कृषि एवं सहकारिता विभाग) मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित की। बैठकों की एक पूर्ण सूची अनुबंध 1.28 पर है।

1.25 विभिन्न जीवन क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न अवसरों पर आयोग के कार्यालय के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सदस्य-सचिव से बैठकों की तथा विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से विचारविनिमय किया। अध्यक्ष से बैठक करने वाले इन विशिष्ट व्यक्तियों की सूची अनुबंध 1.29 पर है।

1.26 श्री विलियम शेलुकिडो, अध्यक्ष की अध्यक्षता में तंजानियन संयुक्त वित्त आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के साथ बैठक की तथा भारतीय अनुभव से सीख लेने के उद्देश्य से उनके साथ विचारविमर्श किया। (प्रतिनिधि मंडल का संघटन अनुबंध 1.30 पर)।

1.27 आयोग ने 56 औपचारिक बैठकें कीं जिनमें विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श किया गया। ब्यौरे अनुबंध 1.31 पर हैं। आयोग के सुझाव पर, आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों को योजना आयोग के सदस्यों के समस्तर पर लाने के लिए वित्त आयोग (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1951 में संशोधन किए गए। संगत अधिसूचना अनुबंध 1.32 पर है।

आभार

1.28 हम आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए अध्यवसाय के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं जिसके बिना हमारे लिए इस रिपोर्ट को तैयार करना संभव नहीं होता। हम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र विशेषतया श्री राजीव प्रकाश सक्सेना, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को हमारे प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण में हमारी सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम भारत सरकार मुद्रणालय के निदेशक तथा सरकारी मुद्रणालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी अल्प समय में यह रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद करते हैं।

❑❑